F.No. 15-58/1-NMA/2021
Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "the Group of Temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara", Hooghly have been prepared by The Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 and Rule 18 of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011 and the same is uploaded on the following websites:

1. National Monuments Authority www.nma.gov.in
2. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
3. Archaeological Survey of India, Kolkata Circle www.asikolkata.com

Any person having any suggestion or comment may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email id hbl-section@nma.gov.in latest by 18th February 2021. The person making comment or suggestions should also give his name and address.

The objection or comment which may be received before the expiry of the period of 30 days i.e. 18th February 2021 shall be considered by The National Monuments Authority.

(N.T. Paite)
18th January 2021

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

'बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक "बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली" के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि, जिन्हें परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियम 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जा रहे हैं।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

कथित प्रारूप उप-विधियों के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप-विधियों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।

(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप विधियों में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**:-**

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-रूप कृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न या समतुल्य पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय

सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

परन्तु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास संकर्मों तथा सार्वजनिक शौचालयों- मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तरवर्ती;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब स्थिति को धीमे करने से है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" सेधारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" सेधारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुर्ननिर्माण" से किसी संरचना याभवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और नवीकरण" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुर्ननिर्माण नहीं होंगे।

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर), 1958 की पृष्ठभूमि

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था,विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलऔर अवशेष (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनानेके लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियॉ: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना की किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और नवीकरण को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय - III

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक -बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की अवस्थिति एवं स्थान

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति

- **जीपीएस निर्देशांक:** 23°11'49" उत्तरी अक्षांश, 88°26'27" पूर्वी देशांतर
- बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मन्दिरों का समूह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गुप्तिपाड़ा में स्थित है। कोलकाता, स्मारक के 80.0 कि.मी. दक्षिण में स्थित है।
- निकटम रेलवे स्टेशन गुप्तिपाड़ा रेलवे स्टेशन है जो पश्चिमी दिशा में 2.8 कि.मी. दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता है जो 48.9 कि.मी. दक्षिण में स्थित है।

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक - बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की अवस्थिति को दर्शाता गूगल मानचित्र

3.1 स्मारक की संरक्षित सीमाएं :

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मन्दिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की संरक्षित सीमाएं अनुलग्नक-I पर देखे जा सकते हैं।

3.1.1. एएसआई अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली के संबंध में राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-II पर है।

3.2. स्मारक का इतिहास :

बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह चार वैष्णव मंदिरों का समूह है यथा चैतन्यदेव, रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र और बृन्दाबन चंद्र।

गुप्तिपाड़ा मंदिर की टेराकोट्टा दीवारों में बंगाल के पुराने युग की झांकियां अंकित हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में कृत्तिभास ओझा द्वारा संस्कृत से बंगाली में रामायण के अनुवाद के बाद उत्पन्न हुई कला जागृति की लहर का सबसे अनोखा उदाहरण है। चूंकि बंगाल में पत्थर उपलब्ध नहीं थे, अत: इन मंदिरों में व्यापक रूप से टेरेकोट्टा का उपयोग किया गया है।

चैतन्यदेव मंदिर, बिस्वंबर रॉय द्वारा 1650 ईस्वी में बंगाल वास्तुकला के युग्मित महराब छत के साथ जोड़ बांग्ला शैली में निर्मित सबसे छोटा मंदिर है। यह इस शैली में बनाए गए कुछ मंदिरों में से एक है।

रामचन्द्र मंदिर जिसे लोकप्रिय रूप से रथतला से जाना जाता है और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था, एक और अद्भुत निर्माण है। दीवारों पर टेराकोट्टा की मूर्तियां संपूर्ण रामायण की कहानी को दर्शाते हैं।

कृष्णचन्द्र और बृन्दाबन चन्द्र *आटचला* मंदिर है और दोनों एक ही परिसर में स्थित है। बृन्दाबन चन्द्र एक राधा कृष्ण मंदिर है। अकबर के शासनकाल में, शान्तिपुर के सत्यदेव सरस्वती भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए आये थे। हरिश्चन्द्र रॉय, शेराफुली के राजा ने 18वीं शताब्दी के अंत में विशाल संरचना (श्रीकृष्ण भगवान की बड़ी मूर्ति) का निर्माण किया।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुपरक विशेषताएं, घटक, सामग्रियां आदि) :

चैतन्यदेव मंदिर, बंगाल के जोड़ बांग्ला मंदिरों में से सबसे पुराना माना जाता है, जो एक ऊंचे प्लिंथ पर स्थित है। इसके कुछ टेराकोट्टा मोटिफ्स 17वीं शताब्दी की शुरूआत की शैली के हैं। यह मंदिर, मंदिर परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। दोनों भागों (पूर्व और पश्चिम) में तीन महराबदार प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के अंदर गौरांग और नित्यानंद की मूर्तियां हैं जो मूल रूप से टेराकोट्टा से निर्मित किए थे।

रामचन्द्र मंदिर एक *चारचला* मंदिर है जो एक सात फीट ऊँचे प्लेटफार्म पर स्थित है जिसके शीर्ष पर एक छोटा टावर जैसी संरचना है जबकि कृष्णचन्द्र एक आटचला मंदिर है।

बृन्दाबन चन्द्र, वहां के चारों मंदिरों में से सबसे बड़ा है। मंदिर के बाहर की दीवारों पर कोई चित्रकला नहीं है लेकिन इसके पोर्च और गर्भगृह के आंतरिक भागों में सुंदर भित्ति चित्र (म्यूरल पेंटिंग्स) हैं। दुर्भाग्य से, ये चित्रकला धीरे-धीरे गायब सी होती जा रही है।

3.4 वर्तमान स्थिति

3.4.1. स्मारक की स्थिति का मूल्यांकन :

स्मारक संरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

3.4.2. दैनिक आगंतुक और कभी-कभार आने वाले लोगों की संख्या:

स्मारक में लगभग 30-40 पर्यटक/आगंतुक प्रतिदिन आते हैं। रथयात्रा के समय पर आसपास के गांव से लगभग 10,000 भक्त यहां आते हैं।

अध्याय IV

4.0. स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई है:

राज्य सरकार अधिनियम और नियमों द्वारा स्मारक के लिए विशेष रूप से कोई क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1. स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश :

इन्हें **अनुलग्नक-III** पर देखा जा सकता है।

अध्याय-V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1) के अनुसार सूचना/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रेकॉर्डों में निर्धारित सीमाओं के आधर पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का कुल स्टेशन

5.0. बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की रूपरेखा योजना:

बृन्दाबन चन्द्र का मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की सर्वेक्षण योजना को अनुलग्नक-IV पर देखा जा सकता है।

5.1. सर्वेक्षित डेटा का विश्लेषण :

5.1.1. प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- स्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र 4578.122 वर्ग मीटर है।
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 63119.732 वर्ग मीटर है।
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 369346.753 वर्ग मीटर है।

मुख्य विशेषताएं:

- स्मारक, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों में मौजूद नए निर्माण की बहुत कम संख्या द्वारा घेरा हुआ है। निर्मित क्षेत्र का उपयोग अधिकतम रिहायशी और व्यावसायिक है। आसपास अधिकतम क्षेत्र का उपयोग कृषि के प्रयोजन के लिए किया जाता है। स्मारक के पूर्वी भाग में मौजूद पुरानी गंगा खल (नहर) जो मानसून को छोड़कर वर्ष भर सूखी रहती है।

5.1.2. निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर:** पूर्वी भाग में कृषि भूमि, हरित स्थान जिसमें बड़े पेड़ और तालाब शामिल है। एक समाधी, रथ प्लेटफॉर्म और मठ चारदीवारी मौजूद है।
- **दक्षिण:** एक नष्ट की गई चारदीवारी, कार्ट ट्रैक जो आगे रथ मार्ग तक है (रथ सड़क, बड़ा बाजार) और मंदिर परिसर के लिए प्रवेश मार्ग, हैंड पंप, हरित खुले

स्थान जिसमें बड़े पेड़, झोंपड़ी और मैदान है और इस दिशा में भूतल+1 भवन (अधिकांश रिहायशी और बहुत व्यावसायिक) का निर्माण किया है।

- **पूर्व:** पूर्व दिशा में कृषि भूमि, चारदीवारी और बड़े पेड़ से कवर किया है। दक्षिण-पूर्व दिशा में, कृषि भूमि और कुछ रिहायशी मकान मौजूद हैं।
- **पश्चिम:** मैदान और इसके साथ भूतल+1 रिहायशी मकान, मंदिर परिसर के लिए अप्रोच रोड़, तालाब, बड़े पेड़, हैंड पंप, लाइट पोस्ट इस दिशा में मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर:** कृषि भूमि, तालाब और बड़े पेड़ इस दिशा में मौजूद हैं। स्मारक के उत्तर-पश्चिम भाग में बहुत कम रिहायशी मकान हैं और अधिकांश भाग को कृषि भूमि से कवर किया गया है।
- **दक्षिण:** भूतल+1 रिहायशी मकान, मैदान और इसके साथ एक नया निर्माण, हैंड पंप (प्रत्येक घर में मौजूद), कृष्णाबती तक पहुंच वाली सड़क और केला, बांस, नींबू बागवानी के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत भूमि इस दिशा में मौजूद है।
- **पूर्व:** इस दिशा में तालाब और बड़े वृक्ष मौजूद हैं इसके साथ पुरानी गंगा नहर भी है जो मानसून के काल को छोड़कर पूरे साल सूखी रहती है।
- **पश्चिम:** मंदिर द्वार तक पहुंचने वाले मार्ग, रिहायशी और कुछ व्यावसायिक भवन, हैंड पंप, लाइट पोस्ट, तालाब, खुले स्थान और बड़े वृक्ष इस दिशा में मौजूद हैं।

5.1.3. हरित/खुले स्थान का विवरण :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर:** विस्तृत क्षेत्र कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हैं। एक विस्तृत खुले स्थान जिसमें बड़े वृक्ष है, इस दिशा में मौजूद है।
- **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक विस्तृत खुला स्थान है।
- **पूर्व:** पूर्व भाग कृषि भूमि और बड़े वृक्षों से पूरी तरह से भरा हुआ है।
- **पश्चिम:** कृषि भूमि और तालाब के चलते एक बड़ा खुला स्थान इस दिशा में मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर:** मौजूदा भवनों के साथ खाली भूमि इस दिशा में मौजूद है।
- **दक्षिण:** मौजूदा भवनों के बीच खुली अनिर्मित भूमि के छोटे हिस्से इस दिशा में मौजूद है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में, सड़क के चौराहे पर कुछ खुले स्थान मौजूद हैं।
- **पूर्व:** बड़े वृक्ष और हरित भूमि के साथ खुले स्थान इस दिशा में मौजूद हैं। पुरानी गंगा नहर भी इस दिशा में मौजूद है। अधिकांश कृषि भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ है।
- **पश्चिम:** मंदिर द्वार तक मार्ग, रिहायशी और व्यावसायिक भवन, हैंड पंप, लाइट पोस्ट, तालाब, बड़े वृक्ष सहित खुले स्थान इस दिशा में मौजूद हैं।

5.1.4. संचलन के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र- सड़क, फुटपाथ आदि :

यह स्मारक ज्यादातर कृषि भूमि से घिरा हुआ है। स्मारक के पश्चिमी भाग में बिटुमेन रोड (रथ सड़क) है। जो आगे कृष्णाबती की ओर सडक से जुड़ती है।

5.1.5 भवन की ऊंचाई (क्षेत्र वार) :

- **उत्तर:** अधिकतम ऊंचाई 3.0 मीटर है।
- **दक्षिण:** अधिकतम ऊंचाई 3.0 मीटर है।
- **पूर्व:** अधिकतम ऊंचाई 3.0 मीटर है।
- **पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 6.0 मीटर है।

5.1.6 स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर राज्य संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि उपलबध हो :

प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन नहीं है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं :

मंदिर परिसर में संरक्षण सूचना बोर्ड (पीएनबी) और सांस्कृतिक सूचना बोर्ड (सीएनबी) है और स्मारक में शौचालय, सार्वजनिक फर्नीचर और पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध है।

5.1.8. स्मारक तक पहुंच :

बिटुमेन रोड से (रथ सड़क या रथ मार्ग) स्मारक तक पहुंच सकते हैं जो स्मारक के पश्चिमी भाग में आगे उस गांव के आबादी वाले स्थान से जुड़ता है जहां ग्राम पंचायत, अस्पताल, बाजार क्षेत्र स्थित है।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, झंझाजल निकासी (स्टोर्म वाटर ड्रेनेज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)

स्मारक में जलापूर्ति लाइन, जल निकासी और जल सीवर प्रणाली उपलब्ध नहीं है। स्मारक स्थल पर कोई पार्किंग सुविधाएं नहीं है।

5.1.10. स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

- स्थानीय प्राधिकरणों के पास कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है: अत: दिए गए क्षेत्र के लिए कोई प्रस्तावित क्षेत्रीकरण की पहचान नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल पंचायत (पंचायत समिति प्रशासन) नियम, 2008 के अनुसार कुछ दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया है।
- 2001 के पश्चिम बंगाल अधिनियम IX का पश्चिम बंगाल विरासत आयोग अधिनियम, 2001

अध्याय VI

स्मारक का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व

6.0 स्मारक का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व:

मंदिरों का समूह जिसे बृन्दाबन चन्द्र का मठ नाम से जाना जाता है, में चार वैष्णव मंदिर नामत: चैतन्यदेव, रामचन्द्र, कष्णचन्द्र और बृन्दाबन चन्द्र शामिल हैं।

गुप्तिपाड़ा मंदिर की टेराकोट्टा दीवारों में बंगाल के पुराने युग के चित्र अंकित हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में कृत्तिभास ओझा द्वारा संस्कृत से बंगाली में रामायण के अनुवाद के बाद उत्पन्न कला जागृति की लहर का सबसे अनोखा उदाहरण है। चूंकि बंगाल में पत्थर उपलब्ध नहीं थे, अत: इन मंदिरों में व्यापक रूप से टेरेकोट्टा का उपयोग किया गया है।

चैतन्यदेव मंदिर, बिस्वंबर रॉय द्वारा 1650 ईस्वी में बंगाल वास्तुकला के युग्मित मेहराब छत के साथ जोड़ बांग्ला शैली में निर्मित सबसे छोटा मंदिर है। यह इस शैली में बनाए गए कुछ मंदिरों में से एक है। चैतन्यदेव मंदिर, बंगाल के जोड़ बांग्ला मंदिरों में से सबसे पुराना माना जाता है, जो एक ऊंचे प्लिंथ पर स्थित है। इसके कुछ टेराकोट्टा मोटिफ्स 17वीं शताब्दी की शुरूआत की शैली का है। यह मंदिर, मंदिर परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। दोनों भागों (पूर्व और पश्चिम) में तीन महराबदार प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के अंदर गौरांग और नित्यानंद की मूर्तियां हैं जो मूल रूप से टेराकोट्टा से निर्मित की गई थीं।

रामचन्द्र मंदिर एक चारचला मंदिर है जो एक सात फीट ऊँचे प्लेटफार्म पर स्थित है जिसके शीर्ष पर एक छोटा टावर जैसी संरचना है जबकि कृष्णचन्द्र एक आटचला मंदिर है। रामचन्द्र मंदिर, लोकप्रिय रूप से रथतला से जाना जाता है, को 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था, एक और अद्भुत निर्माण है। दीवारों पर टेराकोट्टा की मूर्तियां संपूर्ण रामायण की कहानी को दर्शाते हैं।

कृष्णचन्द्र और बृन्दाबन चन्द्र आटचला मंदिर है और दोनों एक ही परिसर में स्थित है। बृन्दाबन चन्द्र, राधाकृष्ण मंदिर है। अकबर के शासनकाल में, शान्तिपुर के सत्यदेव सरस्वती ने भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए आये थे। हरिश्चन्द्र रॉय, शेराफुली के राजा ने 18वीं शताब्दी के अंत में विशाल संरचना का निर्माण किया। बृन्दाबन चन्द्र, वहां के चारों मंदिरों में से सबसे बड़ा है। मंदिर के बाहर कोई चित्रकला नहीं है लेकिन इसके पोर्च और गर्भगृह के आंतरिक भागों में सुंदर भित्ति चित्र (म्यूरल पेंटिंग्स) हैं। दुर्भाग्य से, ये चित्रकला धीरे-धीरे गायब हो रही है।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात् विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि) :

स्मारक अधिकांश रूप से कृषि भूमि द्वारा घिरा हुआ है। बिटुमेन रोड, रिहायशी झोंपड़ियां और बहुत कम नए निर्माण (रिहायशी भूतल+1) स्मारक के आसपास के क्षेत्र में मौजूद है।

6.2 संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता :

संरक्षित स्मारक से बड़े वृक्षों, कृषि भूमि सहित खुले स्थान देखा जा सकता है।

6.3. पहचान की जाने वाली भूमि का उपयोग :

यह गुप्तिपाड़ा गांव में स्थित वैष्णव संप्रदाय का एक जीवन्त स्मारक है और यह अधिकांश रूप से कृषि भूमि से घिरा हुआ है। स्मारक का पश्चिम और दक्षिण (प्रतिषिद्ध और विनियमित) भाग रिहायशी प्रयोजनार्थ उपयोग करते हैं।

6.4 संरक्षित स्मारकों के अलावा पुरातात्विक विरासत अवशेष :

संरक्षित स्मारकों के अलावा कोई पुरातत्वीय विरासत अवशेष नहीं हैं।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य:

यह स्मारक गुप्तिपाड़ा रथयात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। गुप्तिपाड़ा और महेश दोनों हुगली में है और यह दोनों बंगाल की रथयात्रा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करती है और यह पर्यावरणीय प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में मदद करता है :

यह स्मारक कृषि भूमि से घिरा हुआ है। पुरानी गंगा नहर, जिसमें मानसून में ही पानी भरता है, स्मारक की पूर्वी दिशा में स्थित है और यह हुगली नदी में मिलती है।

6.7. खुले स्थान का उपयोग और निर्माण :

स्मारक कृषि भूमि से घिरा हुआ है। आसपास का अधिकतम क्षेत्र वृक्ष और तालाब के साथ हरित खुली भूमि है। स्मारक की पश्चिम और दक्षिण दिशा में रिहायशी भवन देखा जा सकता है।

6.8. परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप :

नवरत्न शैली का एक रथ मंदिर के पास रखा हुआ है जिसे रथयात्रा महोत्सव के दौरान बाहर निकाला जाता है। लगभग दस हजार लोग रथयात्रा उत्सव के दौरान इकट्ठे होते हैं।

6.9. स्मारक और प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज :

स्मारक और विनियमित क्षेत्र से हरित खुली कृषि भूमि और छोटी झोंपड़िया दिखाई देते हैं।

6.10. परंपरागत वास्तुकला :

यद्यपि हालिया वर्षों में कुछ नई संरचनाएं भी बन गई हैं। बंगाली झोंपड़ियों के रूप में स्मारक के आसपास परंपरागत वास्तुकला के नमूने उपलब्ध हैं।

6.11. स्थानीय प्राधिकरणों के पास यथा उपलब्ध विकास योजना :

उपलब्ध नहीं।

6.12 भवन से संबंधित मानदंड:

(क) स्थल पर निर्माण की ऊंचाई (छत संरचनाएं जैसे मम्टी, मुंडेर आदि सहित)

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में भवनों के लिए अनुमेय ऊंचाई 5 मी. (सभी को शामिल करते हुए) होगी।

(ख) तल क्षेत्र : स्थानीय भवन उप नियम के अनुसार एफएआर होंगे।

(ग) उपयोग : भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं सहित स्थानीय निर्मित भवन उप नियम के अनुसार

(घ) अग्रभाग का डिजाइन :

- अग्रभाग का डिजाइन स्मारक के परिवेश से मेल खाता होना चाहिए
- सामने की सड़क या सीढ़ी शाफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) छत का डिजाइन :

छत के निम्नलिखित डिजाइन अपनाए जा सकते हैं:

- कच्चा या अर्धगोलाकार डिजाइन *(चाला)* में पुआल से बने छप्पर वाले घर : चाला छत को दर्शाती हुई पारंपरिक बंगाली झोपड़ियां। (चाला छत एक अर्धगोलाकार नमूना है जिसे आमतौर पर *एक-चाला, दो-चाला* और *चार-चाला* के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे और कोने मुड़े हुए होते हैं जो एक घुमावदार मेड़ (रिज) पर जाकर मिलते हैं।) बांस और पुआल का उपयोग छत बनाने की सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
- खपरा या मिट्टी की टाइलों से बनी छत या नालीदार लोहे की शीट से ढके घर।
- पक्के घरों के लिए, आधुनिक सामग्री से बनी छत के समान प्रकार का उपयोग किया जा सकता है परंतु यह 5 मीटर की ऊंचाई तक सीमित होगा (सभी को शामिल करते हुए)

(च) भवन निर्माण सामग्री:

- स्मारक की सभी सडकों के अग्रभागों के किनारे-किनारे सामग्री और रंग में समरूपता।
- बाहरी परिष्करण के लिए आधुनिक सामग्री जैसे एलुमिनियम का आवरण, सीसे की ईंटें और किसी अन्य रासायनिक टाइल या सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- परंपरागत सामग्री जैसे ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग:- बाहर का रंग, स्मारक के अनुरूप हल्के रंग का उपयोग ही किया जाना चाहिए

6.13 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

स्थल पर आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, विवेचन केंद्र, जलपान गृह, पेयजल, स्मारिका दुकान, दृश्य-श्रव्य केन्द्र, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय-VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें

(क) सैटबैक

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) अनुमान (प्रोजेक्शंस)

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में साइनेज़ (सूचना-पट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/ मेलों आदि के लिए

इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमेय नहीं होगा।

- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य सिफारिशें

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "The Group of Temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly", prepared by the Competent Authority, are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monumentthe Group of Temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly.
(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;
FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments.

The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 201.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument – The Group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly

3.0 Location and Setting of the Monument: -

- **GPS Coordinates:** Lat. 23°11°49°N. Long 88°26°27°E.
- The group of temples known as Brindaban Chandra's Math are located at Guptipara, Hooghly District of West Bengal. Kolkata is located at 80.0 km south of the monument.
- The nearest Railway station is Guptipara Railway Station at a distance of 2.8 km in the western direction. The nearest airport is Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata which is 48.9 km at south.

Figure 1, Google map showing the location of - The group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of the Centrally Protected Monument-, The Group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly, may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Gazette Notificationthe Group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly may be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

The group of temple known as Brindaban Chandra's Math comprises of four Vaishnava temples, viz. Chaitanyadeva, Ramachandra, Krishnachandra and Brindaban Chandra.

Imprinted on the terracotta walls of Guptipara temples are images of the bygone era of Bengal. The temple here is the most stunning example of the art wave that followed in the wake of Krittibash Ojha translating the Ramayana from Sanskrit into Bengali in the 13 Century. Since stones are unavailable in Bengal, therefore terracotta is used extensively in these temples.

Chaitanyadeva Temple is the smallest and built in Jor Bangla style with the double arch roof of Bengal School of Architecture in 1650 CE by Biswambar Roy. This is one of the few temples built in this style.

The Ramachandra Temple, popularly known as Rathtala was built in the first half of the 19th Century is another marvelous design. Terracotta figures on the walls tell the entire story of Ramayana.

Krishnachandra and Brindaban Chandra are *aatchala* temples and both stand within the same compound. Brindaban Chandra is a Radha Krishna Temple. During Akbar's regime, Satyadev Saraswati of Shantipur came here to set up an image of Lord Krishna. Harishchandra Roy, king of Sheoraphuli constructed the massive structure in late 18th Century.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.) :

The Chaitanyadeva Temple is considered to be earliest among the *jorbangala* temples of Bengal, which lies on a high plinth. Its sparse terracotta motifs are of the early 17th century style. This temple is situated towards the west side of the temple complex. Triple arched openings are present on both sides (east and west).The idol of Gouranga and Nitynanda adorns the insides of the temple that was originally constructed with terracotta.
The Ramachandra Temple is a *charchala* shrine which stands on a seven feet high platform with small tower like structure on the apex while Krishnachandra is an *aatchala*temple.

Brindaban Chandra is the largest among the four temples at the site. The temple is externally plain but the interior of its porch and the sanctum chamber have beautiful mural paintings. Unfortunately, the paintings are steadily in the process of disappearance.

3.4 Current Status

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Daily around 30-40 tourists/visitors come to visit this monument. During the time of Rathayatra approx. 10,000 devotees come to this place from nearby villages.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

Specifically, for the monument, there is no zoning made by the state government act and rules.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at Annexure-III.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of theProhibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of the Group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly

Survey Plan of the Group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly may be seen at Annexure- IV.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monuments is 4578.122 Sqm
- Total Prohibited Area of the monuments is 63119.732 Sqm
- Total Regulated Area of the monuments is 369346.753 Sqm

Salient Features:

- The monument is encompassed by very few numbers of new constructions existing in both the Prohibited and Regulated Areas. The usage of the built-up is mostly residential and commercial. Most of the surrounding area is used for agricultural purposes. Old Ganga Khal (canal) is present in the eastern side of the monument which remains dry throughout the year except monsoon.

5.1.2 Description of built uparea :

Prohibited Area

- **North:** Northern side is covered with agricultural field, green spaces with big trees and pond. A samadhi, rath platform (chariot) and boundary wall of the math is present.
- **South:**A destroyed boundary wall, cart track which is connected further to the Rath way passage (Rath Sarak, Bara Bazaar) and the entrance way of the temple complex, hand pumps, green open spaces with big trees, huts and Ground+1 building are constructed (mostly residential and very few are commercial) in this direction.
- **East:** Eastern side is totally covered with agricultural land, boundary walls, and big trees. In the south-eastern direction, agricultural land and few residential structures are present in the same direction.
- **West:** Ground+1 residential structures, road approaching the temple complex, pond, big trees, hand pump, light posts are present in this direction.

Regulated Area

- **North:** Agricultural land, pond and big trees are present in this direction. In the north-west side of the monument there are very few residential structures and most of the part is covered with agricultural land.
- **South:**Residential structures, Ground+1 new construction, hand pumps (present in each house), road connecting to Krishnabatiand vast area used for banana, bamboo, lemon gardening are present in this direction.
- **East:** In this direction pond and big trees are present along with the old Ganga Canal, which remains dried up for whole year except during monsoon.
- **West:** Pathway passage road which leads to the temple gate, residential and few commercial structures, hand pumps, light posts, ponds, open spaces and big trees are present in this direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

- **North:** Vast area is used for the agricultural purpose. A huge open space with big trees is present in this direction.
- **South:** A huge open space is present in the southern part of the Prohibited Area
- **East:** Eastern side is totally covered by the agricultural land and big trees.

- **West:** Agricultural land and water body creating a huge open space is present in this direction.

Regulated area

- **North:** Vacant land enclosed by the existing buildings is present in this direction,
- **South:** Small patches of open unconstructed land in between the existing buildings are present in this direction. In the south-west direction, some open area is also present at the intersection of roads.
- **East:** Open spaces are present in this direction with big trees and green land. Old Ganga Canal is also present in this direction. Most of the areas are used for agricultural purposes
- **West:** Open spaces are present with big trees. There are open spaces in between the residential huts.

5.1.4 Area covered under circulation –roads, footpaths etc.:

This monument is mostly surrounded by agricultural land. Bitumen road (Rath Sarak) is present in the western side of the monument. Which is further connected to the road towards Krishnabati.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North:** The maximum height is 3.0m.
- **South:** The maximum height is 3.0m.
- **East:** The maximum height is 3.0m.
- **West:** The maximum height is 6.0m.

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities are present within Prohibited/Regulated Area.

5.1.7 Public amenities :

Protection Notice Board (PNB) and Cultural Notice Board (CNB) are there at the temple complex and toilets, public furniture and parking facilities are available at the monument.

5.1.8 Access to monument :

The monument is accessed by bitumen road (Rath Sarak or Rath passage way) which further connect to the populous area of the village where the Gram Panchayat, hospitals, market areas are situated in the western side of the monument.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Water supply line, drainage and water sewer system are not available at the monument. No parking facilities are there at the monument site.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

- No development plan is available with the local authorities; hence no proposed zoning can be identified for the given area. Few guidelines are mentioned as per the:
- West Bengal Panchayat (Panchayat Samiti Administration) Rules, 2008
- The West Bengal Heritage Commission Act, 2001 of the West Bengal Act IX of 2001

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of the monument:

The group of temple known as Brindaban Chandra's Math comprises of four Vaishnava temples, viz. Chaitanyadeva, Ramachandra, Krishnachandra and Brindaban Chandra.

Imprinted on the terracotta walls of Guptipara temples are images of the bygone era of Bengal. The temple here is the most stunning example of the art wave that followed in the wake of Krittibash Ojha translating the Ramayana from Sanskrit into Bengali in the 13 Century. Since stones are unavailable in Bengal, therefore terracotta is used extensively in these temples.

Chaitanyadeva Temple is the smallest and built in Jor Bangla style with the double arch roof of Bengal School of Architecture in 1650 CE by Biswambar Roy. This is one of the few temples built in this style. The Chaitanyadeva Temple is considered to be earliest among the *jorbangala* temples of Bengal, which lies on a high plinth. Its sparse terracotta motifs are of the early 17^{th} century style. This temple is situated towards the west side of the temple complex. Triple arched openings are present on both sides (east and west). The idol of Gouranga and Nitynanda adorns the insides of the temple that was originally constructed with terracotta.

The Ramachandra Temple is a *charchala* shrine which stands on a seven feet high platform with small tower like structure on the apex while Krishnachandra is an *aatchala* temple.The Ramachandra Temple, popularly known as Rathtala was built in the first half of the 19^{th} Century is another marvelous design. Terracotta figures on the walls tell the entire story of Ramayana.

Krishnachandra and Brindaban Chandra are *aatchala* temples and both stand within the same compound. Brindaban Chandra is a Radha Krishna Temple. During Akbar's regime, Satyadev Saraswati of Shantipur came here to set up an image of Lord Krishna. Harishchandra Roy, king of Sheoraphuli constructed the massive structure in late 18th Century. Brindaban Chandra is the largest among the four temples at the site. The temple is externally plain but the interior of its porch and the sanctum chamber have beautiful mural paintings. Unfortunately, the paintings are steadily in the process of disappearance.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.) :

The monument is surrounded mostly by agricultural land. Bitumen road, residential huts and very few new constructions (residential G+1) are present in the close vicinity of the monument.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from regulated area:

The top of the protected monument is clearly visible from the Regulated Area. From the protected monument open areas with big trees, agricultural lands can be seen.

6.3 Land use to be identified :

This is a living monument of *Vaishnava Sampradaya*situated in the Guptipara village and mostly it is surrounded by agricultural land. The west and south of the monument (Prohibited and Regulated) are used for residential purposes.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monuments :

No other archaeological heritage remains other than protected monuments.

6.5 Cultural landscapes :

The monument is an important part of the Rathayatra of Guptipara. Guptipara and Mahesh, both in Hooghly districtare the two most important venues of the Rathayatra in Bengal.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution :

This monument is surrounded by agricultural land. The old Ganga Canal which has water only during the monsoons is located in the eastern direction of the monument and connects to the Hooghly River.

6.7 Usage of open space and constructions :

This monument is surrounded by agricultural land. Most of the surrounding areas are green open land with trees and ponds. Residential structures can be seen in the western and southern direction of the monument.

6.8 Traditional, historical and cultural activities :

A Ratha of *navaratna* style is garaged near the temple which is taken out during the Rathayatra festival. Almost ten thousand people gather here to celebrate Rathayatra.

6.9 Skyline as visible from the monument and from regulated areas :

Green open agricultural land and small huts are visible from the monument and the Regulated Area.

6.10 Traditional architecture :

Traditional architecture is prevalent around the monument in the form of Bengal huts. Although few modern constructions have also come up in the recent years.

6.11 Development plan as available by the local authorities:

Not available.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 05 mtr. (Inclusive All)

(b) Floor area: FAR will be as per local bye-laws.

(c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:

- The façade design should match the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:

The following roof designs may be followed:

- Kutcha or houses thatched with straw in semi-round design (*chala*): traditional Bengali huts portraying the *chala* roof. (The *chala* roof is semi-round pattern commonly known as *ek-chala, do-chala and char-chala,* with curved edges and cornices meeting at a curved ridge). Bamboo and straw may be used as the roofing material.
- *Khapra* or houses covered with clay tiled roofs or corrugated iron sheet.
- For pukka houses, the similar design of roof in modern material may be used restricted up to 5m in height (all inclusive).

(f) Building material: -Traditional materials may be used.

(g) Colour: - The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks
- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections
- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages
- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations :

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

ANNEXURES

अनुलग्नक

ANNEXURE-I

अनुलग्नक-I

बृन्दाबन चन्द्र मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की संरिक्षत चारदीवारी

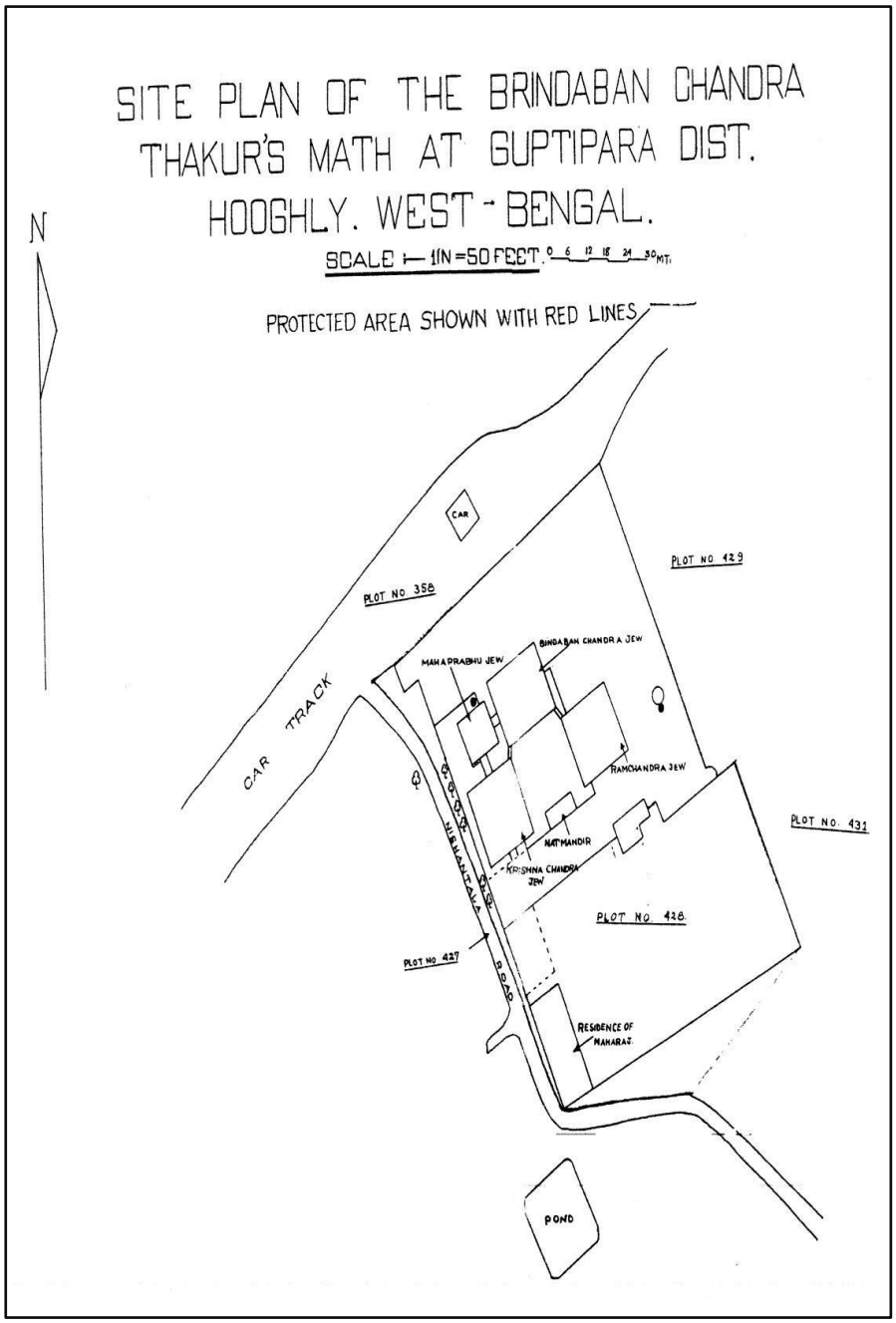

बृन्दाबन चन्द्र मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली की अधिसूचना

Original Notification

PART I] THE CALCUTTA GAZETTE, JUNE 18 1913 891

No. 3097.—The 16th June, 1913.—In exercise of the power conferred by sub-section *(1)* of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act VII of 1904), the Governor in Council is pleased to declare the group of temples known as Brindabon Chandra's Math which are situated in the village of Guptipara, within the jurisdiction of police-station Balagore, in the district of Hooghly, and are bounded as follows, to be protected monuments within the meaning of the said Act :—

Hooghly.

North—The track of *Rath*,
South—The Kaibartapara road and waste land belonging to Brindabon Chandra Thakur,
East—Khal and waste land and garden belonging to Brindabon Chandra Thakur,
West—Kaibartapara road.

2. Any objections to this notification which are received by the undersigned within one month from the date on which a copy of the notification is published in a conspicuous place on or near the said group of temples will be taken into consideration.

No. 3101.—The 17th June 1913.—Mr. A. Macdonald, Professor, Dacca College, is appointed temporarily to be Professor in the Civil Engineering College, Sibpur, *vice* Mr. W. Tate, deceased.

Dacca. Howrah.

(9)

H. F. SAMMAN,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

PART I] THE CALCUTTA GAZETTE, AUGUST 20, 1913. 1137

GENERAL DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.

No. 1617T.G.—The 18th August 1913.—Mr. T. O. D. Dunn, on special duty in the office of the Director of Public Instruction, Bengal, is allowed privilege leave for three months, under article 260 of the Civil Service Regulations, with effect from the 14th August 1913, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Calcutta.

No. 4096.—The 19th August 1913.—In exercise of the power conferred on him by section 4 of Act V (B. C.) of 1881, His Excellency the Governor is pleased to nominate Mr. S. W. Goode, I.C.S., Chairman of the Corporation for the town of Calcutta, to act as Chairman of the Christian Burial Board for the town and suburbs of Calcutta, *vice* the Hon'ble Mr. S. L. Maddox, C.S.I., I.C.S., resigned.

Calcutta.

No. 4063.—The 18th August 1913.—The Notification No. 3053, dated the 6th June 1913, published in the *Calcutta Gazette* of the 11th June 1913, which declared the five ancient monuments in the town of Vishnupur in the subdivision of the district of Bankura, to be protected monuments, is confirmed under section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904)

Bankura.

No. 4092.—The 19th August 1913.—The notification No. 3097 dated the 16th June 1913, published in the *Calcutta Gazette* of the 18th June 1913, which declared the group of temples known as Brindaban Chandra's Math, which are situated in the village of Guptipara, in the district of Hooghly, to be protected monuments, is confirmed under section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904).

Hooghly.

No. 4100.—The 19th August 1913.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Bengal Mining Settlements Act, 1912 (Bengal Act II of 1912), the Governor in Council is pleased to make the following rules for carrying out the purposes and objects of that Act in respect of all mining settlements and certain groups or classes of mining settlements in the Presidency of Fort William in Bengal.

अनुलग्नक -III

स्थानीय निकाय दिशा-निर्देश

स्मारक गुप्तिपाड़ा सं. II ग्राम पंचायत के अधीन आता है। इस ए.एस.आई स्मारक के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं बनाया गया है, तथापि, निम्नलिखित अधिनियम/नियम में विरासत के संबंध में उपबंध बनाया गया है :

(i) पश्चिम बंगाल पंचायत (पंचायत समिति प्रशासन) नियमावली, 2008 में भवन निर्माण और अन्य संबंधी विषयों के लिए दिशा-निर्देश निर्दिष्ट है (विवरण नीचे पैरा 3.2.1 एवं 3.2.3 में दिया गया है)।

(ii) वर्ष 2001 के पश्चिम बंगाल अधिनियम IX, पश्चिम बंगाल विरासत आयोग अधिनियम, 2001 में विरासत भवनों, स्मारकों, सीमाओं और स्थलों को पहचानने और उनके पुनरुत्थान और संरक्षण के लिए उपाय करने के उद्देश से पश्चिम बंगाल राज्य में एक विरासत आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया है। यह संपूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए है।

इस अधिनियम के अध्याय II में पश्चिम बंगाल विरासत आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

1. विनियमित क्षेत्र में नए निर्माण, सेटबैक के लिए अनुमेय ग्राउंड कवरेज, एफएआर/एफ.एस.आई और ऊंचाई

पश्चिम बंगाल पंचायत (पंचायत समिति प्रशासन) नियमावली, 2008 के अनुसार,

अध्याय XII, धारा 71 आवासीय भवनों का अधिकतम करवेज :

पूरी तरह से आवासीय प्रयोजन के लिए एक व्यक्तिगत भूखण्ड का अधिकतम भवन कवरेज आवासीय भवन के लिए कुल क्षेत्रफल का **दो-तिहाई** होगा। कुल प्लॉट क्षेत्र का एक-तिहाई भाग को खाली छोड़ा जाएगा जिसमें अग्र, पार्श्व और पश्च भाग के सेटबैक शामिल है। पंचायत समिति, मौजूदा संरचना अथवा भवन में अतिरिक्त निर्माण की अनुमति के लिए ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर सकती है, यदि मौजूदा कवरेज प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण करने से कुल प्लॉट क्षेत्रफल के दो-तिहाई के अधिक हो : बशर्ते कि पंचायत समिति विकास योजना के अनुसरण में, एक आदेश अधिकतम भवन कवरेज का प्लॉट के कुछ क्षेत्र का डेढ़ भाग तक समिति कर सकती है।

अध्याय XII, धारा 72, आवासीय भवन का निर्माण :

(1) एक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित विकास योजना के अध्यधीन, किसी संरचना अथवा भवन जो एक पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आता है, का निर्माण प्लॉट के प्रत्येकत पार्श्व से कम से कम 0.9 मीटर सेटबैक के साथ किया जा सकता है। ऐसा करने से, किसी

प्रस्तावित नए भवन के पार्श्व से मौजूदा भवन के पार्श्व तक 1.9 मीटर की न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होगी।

(2) प्लिंथ अथवा भवन का कोई भी भाग अथवा किसी उप भवन सड़ या मार्ग की तुल्य ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए ताकि जल निकासी में आसानी हो और अन्य मामलों से यह ऊंचाई ***0.6 मीटर से कम न हो।***

(3) अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर के अध्यधीन, नई या मौजूदा संरचना की ऊंचाई पहूंच मार्ग की चौड़ाई का डेढ़ गुना होनी चाहिए। जिसके साथ उस भवन का अग्र सेट-बैक की चौड़ाई भी शामिल है। लेकिन भवन में किसी भी तरह के सेटबैक को स्वीकार्य ऊंचाई की गणना के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(4) बशर्ते कि भवन की अधिकतम ऊंचाई भवन के उच्चतम स्थान तक मापी जाएगी चाहे सपाट छत या ढलान छत हो :

बशर्ते यह भी है कि ऐसे माप में ये शामिल नहीं होंगे :

(i) छत पर टंकियां और इसके लिए सहायक सामग्री

(ii) चिमनी

(iii) मुंडेर दीवार जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक न हो

(iv) वेन्टलेटर, वातानुकूल और अन्य सेवा उपकरण :

बशर्ते कि *भवन की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो सकती है यदि विकास योजना ऐसी अधिक ऊंचाई की अनुमति देती है।*

(5) हवाई अड्डा यथा किसी अन्य प्रतिषिद्ध क्षेत्र अथवा संचार उद्देश्य के लिए स्थापित कोई माईक्रोवेव टावर के आस-पास के नए भवन या कोई अन्य संरचना या मौजूदा भवन अथवा संरचना में कोई अतिरिक्त निर्माण की ऊंचाई को इस संबंध में एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2. विरासत उप नियम/विनियम /दिशा-निर्देश, यदि स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध है :

स्थानीय निकायों द्वारा एएसआई स्मारकों के लिए कोई विशेष उप-नियम और दिशा-निर्देश नहीं बनाया गया है।

3. खुले स्थान :

उपरोक्त अधिनियम में खुले स्थान के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं है। तथापि, स्मारक की चारों दिशाओं में कृषि भूमि है। स्मारक के उत्तर भाग में कुछ रिहायशी संरचनाएं हैं। इस स्मारक के चारों ओर बड़े पेड़ों वाले खुले स्थान है।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवागमन - सड़क की ऊपरी सतह, पैदल यात्री मार्ग, गैर-मोटरकृत परिवहन आदि।

ग्रामीण क्षेत्र में यातायात में दुपहिया, ट्रैक्टर और तिपहिया शामिल हैं। स्मारक की सीमाओं के भीतर ऐसा कोई निश्चित पैदल मार्ग नहीं है।

तथापि, पश्चिम बंगाल पंचायत (पंचायत समिति प्रशासन) नियम, 2008 के अनुसार एक सामान्य नियम है।

अध्याय XII, धारा 69। भवन के लिए पहुंच सड़क या मार्ग :

1) प्रत्येक संरचना या भवन में सार्वजनिक सड़क से प्रवेश या निकास के लिए पहुंच सड़क या मार्ग होगा और ऐसे मार्ग या सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 1.80 मीटर होगी।

यदि मौजूदा मार्ग या सड़क जिसपर लोग जा सकते हैं, की चौड़ाई 1.8 मीटर से कम हो तो, ऐसे मार्ग या सड़क के दोनों भागों पर स्थित भूखण्ड के मालिकों को एक अग्र सेटबैक इस तरह से रखना होगा जैसे कि दोनो भागों के भवनों के बीच 1.8 मीटर का एक स्पष्ट मार्ग छोड़ने के बाद भवनों के लिए एक 0.9 मीटर का अग्र सेटबैक के लिए अनुमति हो: बशर्ते कि अगर पंचायत समिति की राय है कि एक विकास योजना के अनुसरण में एक निश्चित मार्ग या सड़क जो 1.8 मीटर से कम न हो, की अनुमति के लिए मौजूदा भवन या उसके भागों में सेटबैक होना चाहिए, तो पंचायत समिति ऐसे भवनों के मालिकों से बातचीत करने के पश्चात् जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारी के माध्यम से उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को एक प्रस्ताव भेज सकती है : बशर्ते कि पहूंच मार्ग या सड़क के दोनो भागों के भूखण्ड के मालिक को इस तरह सामने के सेटबैक की अनुमति दें कि मार्ग के साथ प्रत्येक घर के सामने 0.9 मीटर सेटबैक हो, मार्ग या सड़क के लिए पांच मीटर की चौड़ाई मिले, ऐसे मार्ग या सड़क पंचायत समिति के तहत हो और समिति द्वारा रखरखाव किया जाए : बशर्ते यह भी है कि प्रत्येक संरचना या भवन का 1.8 मीटर पश्च सेटबैक और भूखण्ड के प्रत्येक पार्श्व में कम से कम 0.9 मीटर सेटबैक भी होगा।

2) जहां भी कोई सर्विस रोड या पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है, भवन से किसी सार्वजनिक सड़क की सीधी पहुंच की अनुमति नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सार्वजनिक सड़क' का अर्थ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) से संदर्भित एक राष्ट्रीय राजमार्ग या पश्चिम बंगाल राजमार्ग अधिनियम, 1964 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 1964 का XXVIII) में उल्लिखित राजमार्ग या जिला परिषद द्वारा अभिरक्षित एक सड़क या सामान्य रूप से वाहनों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सड़क।

5. गलियां, अग्रभाग और नए निर्माण

एएसआई स्मारकों के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों के भीतर गलियों, अग्रभाग के संबंध में ऐसा कोई विशेष दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है। तथापि, नए निर्माण के लिए उपर्युक्त पैरा (3.2.1) में सामान्य नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है।

ANNEXURE-III

LOCAL BODIES GUIDELINE

The monument comes under Guptipara No. II Gram Panchayat. No specific guidelines are framed for this ASI monument, nevertheless provisions are made regarding the heritage in the following acts/rules:

i. The guidelines for the constructions of the buildings and other related topic are specified in the West Bengal Panchayat (Panchayat Samiti Administration) Rules, 2008 (the details are given below in para 3.2.1. & 3.2.3.).

ii. In the West Bengal Heritage Commission Act, 2001 of the West Bengal Act IX of 2001-a provision is made for the establishment of a Heritage Commission in the State of West Bengal for the purpose of identifying heritage buildings, monuments, precincts and sites and for measures for their restoration and preservation. It extends to the whole of West Bengal.
In chapter II of this act-it is clearly mentioned to establish a Commission by the name of the West Bengal Heritage Commission.

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the regulated area for new construction, Set Backs.

As per the West Bengal Panchayat (Panchayat Samiti Administration) Rules, 2008,

Chapter XII, section 71, Maximum coverage of residential building:

The maximum building coverage of an individual plot solely for residential purposes shall be ***two-third*** of the total area for a ***residential building***. ***One-third*** of the total plot area that shall be kept vacant shall include front, side and rear ***setback spaces***. The *Panchayat Samiti* shall refuse all such applications for permission of any addition to an existing structure or building if the existing coverage added with the proposed addition exceeds two-third of the total plot area: Provided that the Panchayat Samiti may, in pursuance of the Development Plan, limit, by an order, the maximum building coverage upto one-half of the total area of the plot.

Chapter XII, section 72, Construction of residential building:

(1) Subject to the Development Plan published by a Development Authority, any structure or a building within the jurisdiction of a *Panchayat Samiti* shall be erected or constructed with a ***set-back of at least 0.9m from each side of the plot***. In doing so, there shall be a minimum perpendicular distance of ***1.9m from the side of any proposed new building to the side of an existing building.***

(2) ***The plinth*** or any part of a building or any accessory building shall be located with respect to the level of the crest of the road or passage in such a manner as to facilitate easy drainage and in all cases it shall be at a height of ***not less than 0.6m***.

(3) Subject to the maximum height of ***15m***, ***the height of a new or existing structure shall be one and half times the width of the approach road added with the width of***

the front set-back of that building. But no set-back in the building itself shall be taken into account for computing the height admissible:

(4) Provided that the ***maximum height*** of the building shall be measured up to the ***highest point of the building whether flat roof or sloped roof***: Provided further that such measurement *shall not include*

(i) roof tanks and their supports,

(ii) chimneys,

(iii) parapet walls not exceeding one and 1.5m in height and (iv) ventilating, air-conditioning and other service equipment: Provided also that the maximum height of a building may be allowed to exceed *15m* if the *Development Plan permits such higher height*.

(5) The height of a new building or any other structure or any addition to an existing building or structure in the vicinity of an airport or any other prohibited area or any microwave tower erected for telecommunication purpose, shall be regulated in such manner as may be laid down, by order, by a competent authority in this behalf.

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.

No specific bye-laws and guidelines are framed for the ASI monuments by the local bodies.

3. Open spaces.

No specific guidelines are framed regarding the open spaces in the above act. However, in the all four directions of the monument there are agricultural lands. There are some residential structures mostly in northern part of the monument. Open spaces with big trees are present around this monument.

4. Mobility with the Prohibited and Regulated area –Road Surfacing Pedestrian ways, non –motorized Transport etc.

Inside the village area the traffic mostly comprises of two wheelers, tractors, and three wheelers. No such definite pedestrian pathways are present within the monument precinct.

However, there is a general rule as per the West Bengal Panchayat

(Panchayat Samiti Administration) Rules, 2008,

Chapter XII, section 69. Approach road or passage for building-

1) every structure or building shall have an approach road or passage for ingress or egress from or to a public road and the minimum width of such passage or road shall be 1.8m

(1) If an existing passage or road over which the public have a right of way, is less than one 1.8m wide, the plot-holders on either side of such passage or road shall keep a front set-back in such manner as to allow a clear front set-back of 0.9m for the buildings on either side of the road after leaving in the middle a clear passage of 1.8m: Provided that if a *Panchayat Samiti* is of the opinion that an existing building or part thereof should have set-back to allow a regular passage or road of not less than 1.8m in

pursuance of a Development Plan, the *Panchayat Samiti*, after giving the owner of such building an opportunity of being heard, may refer a proposal through the District *Panchayat* and Rural Development Officer to the Land Acquisition Collector for acquisition of the land in question: Provided further that when the plot-holders on either side of an approach passage or road allow front set-back in such manner that on leaving a front set-back of .9m in front of each house along the passage, a continuous width of five metres for the passage or road is obtained, such passage or road may be taken over and maintained by the *Panchayat Samiti*: Provided also that every structure or building shall have a rear set-back of 1.8m and with a set-back of at least 0.9m from each side of the plot.

(2) Whenever there is a service road or approach passage available, no direct access from a building shall be permitted to a public road.

Explanation - For the purpose of this rule, 'public road" means a National

Highway referred to in the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) or a

Highway within the meaning of the West Bengal Highway Act, 1964 (West Ben. Act XXVIII of 1964) or a road maintained by the *Zilla Parishad* or any other road normally used for vehicular traffic.

5. Streetscapes, Facades and New construction

As such no specific guidelines are available, pertaining to streetscapes and facades within the prohibited and regulated area of the ASI Monuments. However, for the new constructions there is a general rule as stated in the above paras.

अनुलग्नक-IV

ANNEXURE-IV

बृन्दाबन चन्द्र मठ के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, गुप्तिपाड़ा, हुगली के संरक्षित चारदीवारी की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Protected Boundary the Group of temples known as Brindaban Chandra's Math, Guptipara, Hooghly.

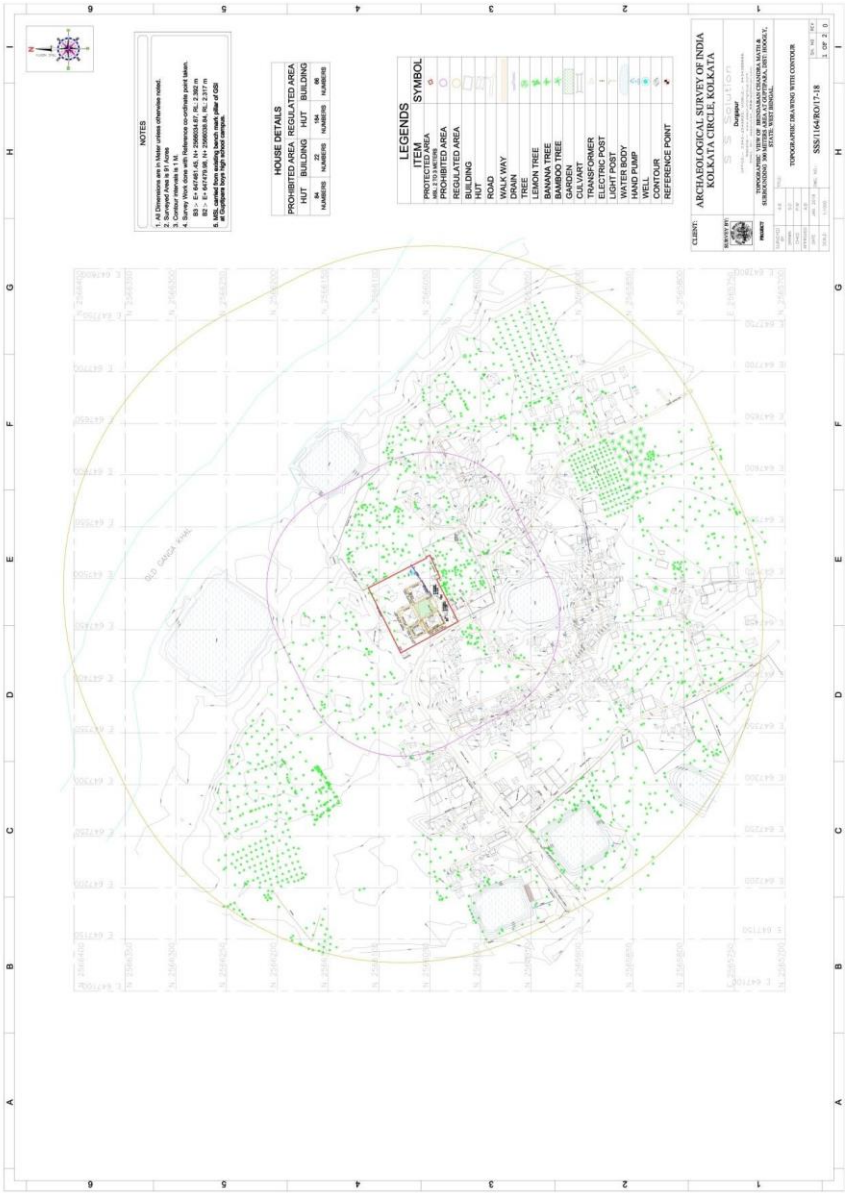

अनुलग्नक-V

ANNEXURE-V

स्मारक और इसके आसपास के क्षेत्रों का चित्र

IMAGES OF THE MONUEMNT AND ITS SURROUNDING AREAS

चित्र 1 : बृन्दाबन चन्द्र मन्दिर

Photo 1: Brindaban Chandra Temple

चित्र 2 : चैतन्य देव मन्दिर

Photo 2: Chaitanya Deb Temple

चित्र 3 : कृष्ण चन्द्र मन्दिर

Photo 3: Krishna Chandra Temple

चित्र 4 : रामचन्द्र मन्दिर (आगे का भाग)

Photo 4: Ram Chandra Temple (Front)

चित्र 5 : रामचन्द्र मन्दिर (पीछे का भाग)

Photo 5: Ram Chandra Temple (Rear)

चित्र 6 : पहुंच मार्ग (रथ सड़क) से मंदिर परिसर का दृश्य

Photo 6: View of the temple complex from the approaching road (Rath sarak)

चित्र 7 : बृन्दाबन चंद्र मठ की चारदीवारी में संकरी प्रवेश मार्ग

Photo 7: Narrow entry passage on the boundary wall of the Brindaban Chandra's Math

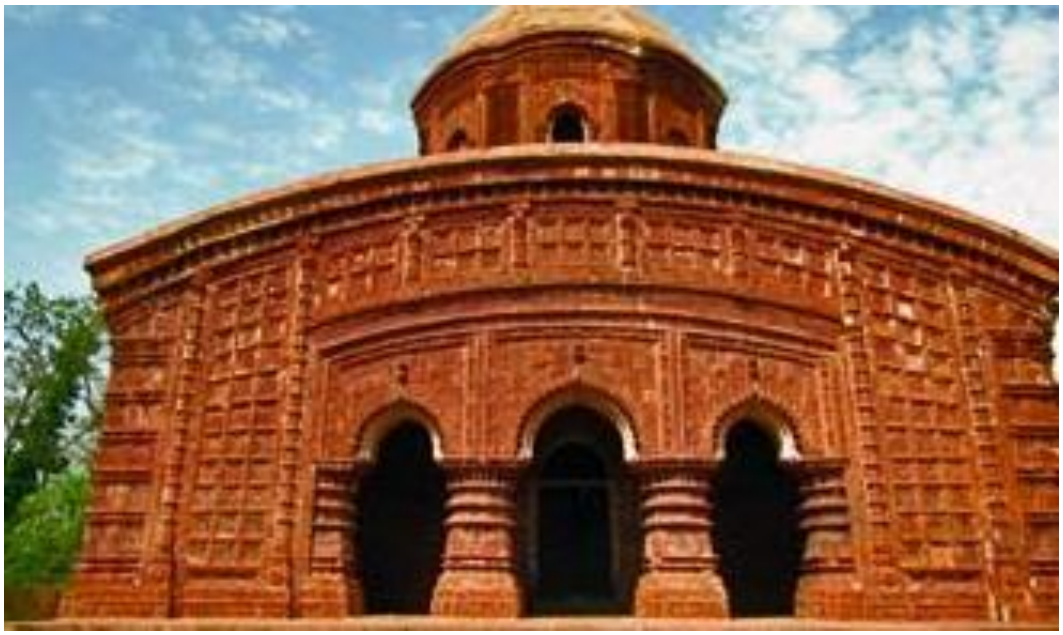

चित्र 8 : रामचन्द्र मन्दिर

Photo 8: Ramachandra Temple